बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

सं0सं0-3/यो0-स0क0-09/2019/.....30

प्रेषक,

विजय रंजन,
संयुक्त निदेशक (मु०),
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 8/5/19

विषय: समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत विभिन्न लाभुक श्रेणियों के लिए संचालित सभी प्रकार के गृहों में विशेष युनिट इकाई की स्थापना हेतु कुल 786.00 लाख (सात करोड छियासी लाख) की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग महिलाओं, वृद्धजनों एवं समाज के निशक्तजनों, बच्चों एवं अन्य अभिवंचित वर्गो के हितों तथा अधिकारों के सरंक्षण हेतु बिहार सरकार का महत्वपूर्ण विभाग है। समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न लाभुक श्रेणियों के लिए विभिन्न प्रकार के गृह सरकार अथवा गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कार्यरत है यथा वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम गृह, महिलाओं के लिए अल्पावास गृह तथा रक्षा गृह, उत्तर रक्षा गृह, बालक एवं बालिकाओं के लिए बालक/बालिका गृह, विधि विवादित बच्चों के लिए पर्यवेक्षण गृह, भिक्षुकों के लिए भिक्षुक पुनर्वास गृह तथा लावारिस नन्हें बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान आदि कार्यरत है। विधि विवादित बच्चों हेतु पर्यवेक्षण गृह को छोडकर अन्य सभी लाभुक श्रेणी के लिए संचालित गृहों में कुल 50 की आवासन क्षमता में से 10 की आवासन विशेष युनिट इकाई गठित किये जाने की आवश्यकता है ताकि दिव्यांगजन सभी श्रेणी वर्ग में गंभीर बीमारी से ग्रसित, विशेष आवश्यकता वाले लाभुक तथा मानसिक रूप से बीमार जो ठीक हो चुके है, आदि का आवासन सुचारू रूप से किया जा सके।

2. राज्य में कुल सात (07) वृद्धाश्रम गृह, पांच (05) भिक्षुक पुनर्वास गृह, चौदह (14) अल्पावास गृह, एक (01) रक्षा गृह, तेइस (23) बालक गृह, अट्ठाइस (28) विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, ग्यारह (11) बालिका गृह, चौदह (14) पर्यवेक्षण गृह, एक (01) विशिष्ट गृह तथा एक 01) सुरक्षित स्थान अर्थात कुल 105 गृह संचालित है। वर्तमान में बालक गृह के अन्तर्गत 'अपना घर' पटना में दो युनिट, बेगुसराय, मुजफ्फरपुर, प० चम्पारण, दरभंगा, गया, पूणियॉ, कटिहार, सहरसा में एक-एक विशेष युनिट कार्यरत है। इसी प्रकार बालिका गृह में 'निशांत गृह', पटना तथा मोकामा नाजरथ में दो-दो विशेष युनिट के अतिरिक्त बेगुसराय, मधुबनी, भागलपुर में एक-एक विशेष युनिट कार्यरत है। इसके अतिरिक्त विधि विवादित बच्चों हेतु पर्यवेक्षण गृह में विशेष युनिट की आववश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अन्य 75 गृहों में विशेष युनिट का संचालन किये जाने की आवश्यकता है।

3. भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजना समेकित बाल संरक्षण योजना अन्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संचालित सभी प्रकार के गृहों में विशेष युनिट गठित कर ेका निदेश दिया गया है, जिसके लिए प्रति 10 बच्चों पर प्रति वर्ष कुल अनावर्ती लागत 10.48 लाख है। उक्त आधार पर ही समेकित बाल संरक्षण योजना के अलावे राज्य सरकार द्वारा संचालित गृहों में भी समेकित बाल संरक्षण योजना हेतु तय की गयी लागत पर ही विशेष युनिट का गठन किया जा सकता है। विशेष युनिट के संचालन हेतु अनावर्ती लागत की विवरणी निम्नलिखित है:-

क्र	मद	राशि (रूपये में)
1	विशेष उपकरण एवं सामग्री जैसे मनोवैज्ञानिक परीक्षा सामग्री, प्रशिक्षण सामग्री, बालने एवं भाषा संबंधित पढाने के लिए सामग्री, पहियेदार कुर्सी, क्रेश इत्यादि	100000.00
2	10 बच्चों के लिए आन्तरिक अनुदान (पोषण हेतु रूपये 400/- प्रति माह प्रति बच्चें की दर से)	48000.00
3	10 बच्चों के लिए विशेष चिकित्सीय सहायता जैसे एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) एवं अन्य चिकित्सीय जरूरत और विषहरण तथा इलाज हेतु रूपये 400/- प्रति बच्चा प्रति माह (वास्तविक व्यय के अनुसार)	480000.00
कर्मचारियों का वेतन		
4	एक विशेष शिक्षक/थेरेपिस्ट 17500/- प्रतिमाह	210000.00
5	एक नर्स (महिला) 10000.00 प्रतिमाह	120000.00
6	एक केयर टेकर सह व्यवसायिक प्रशिक्षक 7500/- प्रतिमाह	90000.00
	कुल	**1048000.00**

4. विभाग द्वारा संचालित किये जाने वाले गृहों के प्रकार, संचालित गृहों की संख्या, उसके बजट शीर्ष तथा उपबंधित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है :-

(राशि लाख में)

क्र०	गृह का नाम	कुल संख्या	कार्यरत स्पेशल युनिट	स्पेशल युनिट की आवश्यकता	बजट शी:	उपबंधित राशि
1	वृद्धाश्रम गृह	07	0	07	51-22350210 0106	600.00
2	भिक्षुक पुनर्वास् गृह	05	0	05	51-223502104 0107	1000.00
3	अल्पावास गृह	14	0	14	51-2235021 0110, 51-2235027 0108	6200.00
4	रक्षा गृह	01	0	01	51-2235021030110, 51-2235027890108	
5	बालक/बालिका गृह, पर्यवेक्षण गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान,	63	17	48	51-2235021020323, 51-2235021020223	9900.00
	कुल	**90**	**17**	**75**		**17700.00**

5. 75 गृहों में विशेष युनिट की गठन हेतु अनावर्ती मद में प्रति वर्ष प्रति युनिट 10.48 लाख रूपये की दर से कुल 75 x 10.48 = 786.00 लाख (सात करोड छियासी लाख) रूपये के व्यय की स्वीकृति दी जाती है। उक्त सभी व्यय सम्बंधित लाभुक श्रेणी के लिए उपलब्ध बजट शीर्ष के तहत विकलनीय होगा।

विश्वासभाजन

(विजय रंजन)
संयुक्त निदेशक (मु0),
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :-3/यो0-स०क०-09/2019/30 पटना, दिनांक 8/5/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित विभाग/समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/ निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/ निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/ निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/ निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,समाज कल्याण निदेशालय, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सचिव, बिहार अधिकार संरक्षण आयोग, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु0),
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- 3/यो0-स०क०-09/2019/30 पटना, दिनांक 8/5/19

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वैशवरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकार, पटना एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु0),
समाज कल्याण विभाग।